न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
अधिकार वाद–31 / 2019

सत्तन राम वगैरह .....वादीगण
बनाम्
आनन्दी राम वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

18.09.2023 अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 06.03.2023, अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं वादिनी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 03. 04.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने निवेदन किया है वादी द्वारा अपने वादपत्र में किये गये संशोधन के आलोक में प्रतिवादी को अपने प्रतिवाद पत्र में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति नहीं हो सके। प्रतिवाद पत्र में टंकक की भूल के कारण कुछ शब्द गलत टंकित हो गया है जिसका भी सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है जिससे वादी के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होगा। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को प्रतिवाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। प्रस्तावित संशोधन सं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र का स्वरूप पूरी तरह से बदल जायेगा। प्रतिवादी को वादी के संशोधन को पलटने का अधिकार है, न कि नये वाद कारण एवं दावा लाने का अधिकार है। प्रस्तावित संशोधन वर्तमान वाद में वास्तविक विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक नहीं है अपितु वाद को लंबित रखने की मंशा से दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर पूर्व में संशोधन किया गया है। प्रस्तावित संशोधन आवेदन का वादी की ओर से कोई तात्विक विरोध न किया गया है और न ही इस तथ्य का प्रकटीकरण किया गया है कि उक्त संशोधन से कैसे प्रतिवाद पत्र के स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा एवं वाद का विचारण प्रभावित होगा। वर्तमान वाद अभी वादी साक्ष्य पर नियत है और वादी को वांठित संशोधन के संबंध में साक्ष्य के दौरान प्रतिकार करने का अवसर प्राप्त हैं। प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के मध्य अन्तर्ग्रस्त वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए प्रस्तावित संशोधन का अभिलेख पर आना आवश्यक है। अतएव न्यायहित में प्रतिवादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 06.03.2023 को स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी समयसीमा के अन्दर प्रतिवाद पत्र में संशोधन दर्ज कर लें।

दिनांक– 16.10.2023 वास्ते संशोधन करने प्रतिवाद पत्र में एवं वादी साक्ष्य हेतु।

कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी